न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/216 दायरा दिनांक : 12.12.2022

उनवान

1– कैलाश बाई उम्र 65 वर्ष पुत्री श्री लटूरलाल पत्नि श्री देवीशंकर जाति धाकड़ निवासी ग्राम बामला तहसील व जिला बारां (राज०)
2– बरफा बाई उम्र 60 वर्ष पुत्री श्री लटूरलाल पत्नि श्री पुरुषोत्तम जाति धाकड़ निवासी ग्राम रीझ्या तहे० मांगरोल जिला बारां (राज०) ....अपीलान्टगण

बनाम

1– रामकिशन पुत्र श्री शंकरलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम मण्डोली तहसील व जिला बारां (राज०) – "मृतक"
1/1–जगमोहन उम्र 41 वर्ष पुत्र स्व. श्री रामकिशन
1/2–सूरजा बाई उम्र 55 वर्ष बेवा स्व. श्री रामकिशन जातिगण धाकड़ निवासीगण ग्राम मण्डोली तहसील व जिला बारां (राज०)
1/3–वसुंधरा उम्र 33 वर्ष पुत्री स्व. श्री रामकिशन पत्नि श्री देवीशंकर जाति धाकड़ निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील व जिला बारां (राज०)
1/4–रेवती नागर उम्र 30 वर्ष पुत्री स्व. श्री रामकिशन पत्नि श्री दीपक नागर जाति धाकड़ निवासी ग्राम दुर्जनपुरा तहसील व जिला बारां (राज०)
1/5–जामवंती उम्र 29 वर्ष पुत्री स्व. श्री रामकिशन
1/6–पूजा उम्र 26 वर्ष पुत्री स्व. श्री रामकिशन
1/7–नीलू उम्र 22 वर्ष पुत्री स्व. श्री रामकिशन
जातिगण धाकड़ निवासीगण ग्राम मण्डोली तहसील व जिला बारां (राज०)
2– कौशल किशोर पुत्र श्री शंकरलाल जाति धाकड़
3– भीमराज पुत्र श्री शंकरलाल जाति धाकड़ निवासीगण ग्राम मण्डोली तहसील व जिला बारां (राज०)
4– मुरलीधर पुत्र श्री शंकरलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम मण्डोली तहसील व जिला बारां (राज०) – "मृतक"
4/1–मनोरमा उम्र 41 वर्ष बेवा स्व० श्री मुरलीधर
4/2–प्रतीक्षा उम्र 21 वर्ष पुत्री स्व० श्री मुरलीधर
4/3–प्रदीप कुमार नागर उम्र 20 वर्ष पुत्र स्व० श्री मुरलीधर
4/4–रमा उम्र 18 वर्ष पुत्री स्व० श्री मुरलीधर जातिगण धाकड़ निवासीगण ग्राम मण्डोली तहसील व जिला बारां (राज०)
5– श्रीमति कमला पत्नि श्री शंकरलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम मण्डोली तहसील व जिला बारां (राज०)
6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बारां जिला बारां (राज.)
–रेस्पोडेन्ट्स

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट क्रम 1/2 ता 1/7, 2, 3, 4/1, 4/2 व 4/4 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 30.06.2025

ये अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के. प्रकरण संख्या 49/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम मण्डोली तहसील बारां के हाल खाता संख्या 106 की औराजी खसरा नं. 86 रकबा 0.70 है0, खसरा नं. 211 रकबा 0.08 है0, खसरा नं. 232/397 रकबा 0.23 है0, खसरा नं. 267 रकबा 0.08 है0, खसरा नं. 282 रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 300 रकबा 2.24 है0, खसरा नं. 301 रकबा 0.19 है0, खसरा नं. 320 रकबा 2.73 है0, खसरा नं. 333 रकबा 1.98 है0, खसरा नं. 342 रकबा 1.59 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 7.92 है0 स्थित है। उक्त आराजियात की वर्तमान जमाबंदी में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादिया क्रम 1 व 1/4, क्रम 1 का 1/4 संयुक्त हिस्सा दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2022 से वादीगण का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपीलांट ने अपील में कथन किया कि ग्राम मण्डोली तहसील बारां में हाल खाता संख्या 106 की कुल 10 किता रकबा 7.92 है० भूमि स्थित है, जो वर्तमान जमाबंदी में कैलाश बाई पत्नि श्री देवीशंकर हिस्सा 1/4, कौशल किशोर पुत्र शंकरलाल हिस्सा 1/8, बरफा बाई पत्नि पुरुषोतम हिस्सा 1/4, भीमराज पुत्र श्री शंकरलाल हिस्सा 1/8, मुरली पुत्र श्री शंकरलाल हिस्सा 1/8, रामकिशन पुत्र श्री शंकरलाल हिस्सा 1/8 के रूप में खाते में दर्ज है। इस प्रकार अपीलान्टगण का 1/2 हिस्सा है।

वादीगण/रेस्पोडेन्टगण ने अपनी साक्ष्य में प्रदर्श–1 वसीयतनामा दिनांक 24.06.1996, प्रदर्श–2 राजीनामा दिनांक 26.06.1998, प्रदर्श–3 जमाबंदी, प्रदर्श–4 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–5 रजिस्टर्ड बयनामा जो बरफा बाई अपीलान्ट/प्रतिवादी क्रम 02 के पक्ष में दिनांक 01.12.2004 को प्रतिवादी क्रम 03 रामचन्द्री बाई ने रजिस्टर्ड

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

करवाया था, प्रदर्श–6 बेयनामा दिनांक 01.12.2004 जो प्रतिवादी क्रम 03 रामचन्द्री बाई ने अपीलान्ट /प्रतिवादी क्रम 01 कैलाश बाई के पक्ष में निष्पादित करवाया पेश हुये है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं0 01, 02, 03 व 04 का निर्णय एक साथ किया है। जिसमें मात्र 15 लाईनों में अपनी अनुशंसा देकर तीनों तनकियों का निर्णय रेस्पोडेन्ट के पक्ष में कर दिया, जबकि तनकी नं0 01 में यह था, कि आया खातेदार लटूरलाल ने अपनी समस्त अचल सम्पत्ति का वसीयतनामा दिनांक 24.06.1996 से गोदपुत्र शंकरलाल को वसीयती उत्तराधिकारी घोषित किया तथा खातेदार लदूरलाल का दिनांक 13.03.1997 को स्वर्गवास हो गया व वसीयतनामा दिनांक 24.06.1996 को अनदेखा कर ग्राम पंचायत इकलेरा द्वारा मृतक लटूर के विधिक वारिसान अपीलान्ट क्रम 01 व 02 व रामचन्द्री बाई के पक्ष में तस्दीक किया जो फौती इंतकाल संख्या 89 दिनांक 20.05.1997 अवैधानिक है तथा इंतकाल नं0 89 की अपील करने पर लटूर द्वारा निष्पादित वसीयतनामें को मान्य करार देते हुये रामचन्द्री बाई ने अपने भरण पोषण के सीमित अधिकार निश्चित कर राजीनामा किया व वसीयत उत्तराधिकारी के अनुसार राजीनामा दिनांक 26.06.1998 को निर्णय हुआ एवं शंकरलाल का दिनांक 03.09.2007 को देहान्त हो गया व मृतक शंकरलाल के वारिस होने से वे उसके उत्तराधिकारी है। जब वसीयतनामा पत्रावली में प्रदर्श–1 है उसको देखने से स्पष्ट है कि यह वसीयतनामा फर्जी व बनावटी है। जिसपर A से B लटूरमल के हस्ताक्षर है, जबकि खातेदार लटूरलाल था तथा इस वसीयतनामें को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रमाणित नही किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय में पीडब्ल्यू–2 गवाह पुरूषोतम नागर पेश हुआ है इसको तनकी नं0 01 में साबित करना था। तनकी नं0 01 में खातेदार ने अपनी समस्त चल, अचल सम्पत्ति का वसीयतनामा दिनांक 24.06.1996 से अपने गोदपुत्र शंकरलाल को वसीयती उत्तराधिकारी घोषित किया, बाबत कथन है कि इसमें खातेदार ने अपनी चल, अचल सम्पत्ति का वसीयतनामा दिनांक 24.06.1996 को अपने गोदपुत्र शंकरलाल को वसीयती उत्तराधिकारी घोषित किया। इस संदर्भ में यह स्पष्ट है कि वसीयतनामा जो प्रदर्श–1 है वह दो कागजों पर टाईपशुदा है। प्रथम पेज पर कहीं भी, किसी के भी दस्तखत नहीं है तथा दूसरे पेज पर लटूरमल के पेन से हस्ताक्षर हो रहे है तथा गवाह नं0 01 पर कोई मीणा व गवाह नं0 02 में हरिशंकर के तथा गवाह नं0 01 के दूसरी तरफ हरिशंकर नागर व गवाह नं0 02 के दूसरी तरह पुरूषोतम नागर के हस्ताक्षर हो रहे है। इस प्रकार कुल 5 व्यक्तियों के हस्ताक्षर है और पांचो हस्ताक्षर एक ही पेन से हो रहे है यह स्पष्ट है। जबकि समस्त वाद में लटूरमल नाम का कोई व्यक्ति नही है, लटूरमल नाम का व्यक्ति बताया और वादी/ रेस्पोडेन्ट ने अपने

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वादपत्र की मद नं0 02 में ज़ो सज़रा दिया है, उसमें लटूर के बाप का नाम भी अंकन नही है। जबकि वसीयत में लटूरमल पुत्र श्री रतनलाल धाकड़ का अंकन है। इसलिये यह नही कहा जा सकता कि वसीयत दिनांक 24.06.1996 अपीलान्टगण/प्रतिवादी क्रम 01 व 02 के पिता ने निष्पादित करवायी हो। पी.डब्ल्यू.–1 कौशल किशोर जो उपस्थित हुआ है वह वसीयत का गवाह नही है। पी. डब्ल्यू. – 2 पुरुषोतम पेश हुआ है वह वसीयत का गवाह है। उसने जिरह में यह स्पष्ट लिखा है कि प्रदर्श–1 वसीयत मण्डोला के सचिव ने लिखी थी और रमेश को मरे हुये 10 साल हो गये और लटूर जी बोल रहे थे और वह लिखता गया, जो रानी जी के मन्दिर पर लिखा था। जो लटूर जी के मरने के ढेड़ दो साल पहले लिखा था। जबकि प्रदर्श–1 वसीयत, टाईपशुदा है, टाईप मशीन मण्डोला में कहां से आयी शपथ पत्र में कहीं भी उल्लेख्य नही है। इसी प्रकार पी.डब्ल्यू.–1 कौशल किशोर से जब वसीयतनामा व गोदनामें के बाबत पूछा गया तो उसने स्पष्ट कहा है कि रजिस्टर्ड गोदनामा नही है और बरफा व कैलाश बाई लटूर जी की ही लड़कियां है और प्रदर्श–1 वसीयतनामा हमारे पिता के मरने के बाद हमारे हाथ लग गया। वसीयतनामा कहां लिखा, इसकी कोई जानकारी नही है, वह यह भी कहता है कि राजीनामा की मुझे कोई जानकारी नही है। वह यह भी स्पष्ट करता है इन बयनामों को निरस्त करने के लिये हमने सिविल कोर्ट में कोई दावा नहीं कर रखा। इस प्रकार तनकी नं0 01 को वादी/रेस्पोडेन्ट साबित नही कर पाये है, क्योंकि वसीयत एक ऐसी चीज है, जिसकी सम्पत्ति प्राप्त कर रहे है जो उसके वारिसान है, उनको उस वसीयत की जानकारी होना चाहिये तथा अपीलान्टगण बरफा बाई व कैलाश बाई को वसीयत की कोई जानकारी नही दी गई। इस प्रकार तनकी नं0 01 रेस्पोडेन्ट/वादी के विरूद्ध तय होनी चाहिये थी, क्योंकि वसीयत में कहीं भी यह लिखा हुआ नही है कि रामचन्द्री बाई ने वसीयत को मान्य करार देकर अपनी आराजी पर अपने भरण–पोषण के सीमित अधिकार निश्चित किये हो व शंकरलाल को दत्तक पुत्र माना हो। राजीनामा जो प्रदर्श–2 पेश हुआ है, उसमें भी यह कही नही है कि रामचन्द्री बाई अपने सीमित अधिकार तय करती है तथा उसकी पुत्रियों को कोई अधिकार नही है, जबकि स्वयं राजीनामें में यह लिखा हुआ है कि 1/2 में शंकरलाल व 1/2 में रामचन्द्री बाई बराबर के खातेदार होगें तथा रामचन्द्री बाई ने खातेदार बनने के बाद अपना 1/2 हिस्सा अपीलान्ट क्रम 01 व 02 के पक्ष में रजिस्टर्ड बयनामा प्रदर्श–5 व प्रदर्श–6 से ट्रांसफर किया है तथा रजिस्टर्ड बेचाननामें के आधार पर नामांतकरण दर्ज हुआ है, उसको कभी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। इस कारण तनकी नं. 01, 02, 03, 04, 05 अपीलान्टगण के पक्ष

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

में रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध तय होनी चाहिये थे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य के, बिना दस्तावेज देखे समस्त तनकीयों को रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में तय करके भारी भूल की है, इसी प्रकार तनकी नं0 06 व 07 को भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना दस्तावेज के यह कहते हुये कि रामचन्द्री बाई अपनी क्षमता खो चुकी थी, जो 2004 से बोलती ही नही थी, बिना साक्ष्य के सीमित अधिकार की बात करते हुये विक्रय पत्रों को अवैध व शुन्य घोषित किया है वह कतई गलत है तथा तनकी नं0 07 में असल विक्रय पत्रों के आधार पर खोला गया इंतकाल नं0 163 भी शुन्य घोषित करने में भारी भूल की है।

तनकी नं0 08 व 09 में रामचन्द्री बाई का देहान्त दिनांक 04.12.2009 को हो जाने से रामचन्द्री बाई का 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्टगण ने अपने नाम घोषणा करवाने की अधिकारी है, यह मानकर भारी भूल की है, क्योंकि रामचन्द्री बाई की लड़कियां अपीलान्टगण है तथा वह जाति से धाकड़ है, जिनपर हिन्दू कानून लागू होता है तथा मां के मरने पर लड़कियों को अपना अधिकार प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। इस प्रकार तनकी नं. 10 व 11 को भी अपीलान्टगण के विरूद्ध तय करके भारी भूल की है क्योंकि शंकरलाल को यदि लटूरलाल ने गोद लिया है तो उसमें लटूरलाल की पत्नि रामचन्द्री बाई की सहमति जरूरी है, ऐसा कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर नही है, जिसमें रामचन्द्री बाई ने अपनी सहमति दे रखी हो। रजिस्टर्ड बयनामें को जो विधिवत निष्पादित किये है विधिवत निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है, इस प्रश्न को भी अपीलान्टगण के विरूद्ध तय करके भारी भूल की है तथा अपीलान्टगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करके भी भारी भूल की है। दत्तक पुत्र में में पत्नि की सहमति आवश्यक है इसके ऊपर है 2018 (1) डी.एन.जे. राजस्थान 305 में भी यही कहा है कि पत्नि की सहमति आवश्यक है।

अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानकर कि राजीनामा प्रदर्श–2 में यह लिखा हुआ है कि हम रेस्पोडेन्ट बरफा बाई तथा कैलाश बाई अपने पिता के द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमियों में पुत्री के रूप में हिस्सा न लेने तथा अपने हिस्से को अपने भाई शंकरलाल के पक्ष में तर्क किया हुआ है तथा इस हेतु हमने एक तर्कनामा भी अंकित करवाया हुआ है। किन्तु ऐसा तर्कनामा पत्रावली पर उपलब्ध नही है, हक तर्कनामा हमेशा रजिस्टर्ड होना चाहिये, इसपर 2011 (1) आर.आर.टी 424 तथा 2019 आर. बी.जे. 101 सुप्रीम कोर्ट में यही कहा है कि हक तर्कनामा हमेशा रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। उसके बिना अनरजिस्टर्ड तर्कनामें की कोई मान्यता नही है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टगण स्वीकार की जाकर निर्णय व

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां दिनांक 31.10.2022 निरस्त फरमायी जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया वाद रेस्पोडेन्टगण का खारिज फरमाया जावें।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत कर आवंश्यक दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गोदनामा रजिस्टर्ड नहीं है तो राजस्व न्यायालय को सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। बैयनामों के आधार पर नामान्तरण दर्ज हुआ है। सिविल कोर्ट में बैयनामों का निरस्त करवाने हेतु कोई दावा नहीं किया गया। इंतकाल की अपील में राजीनामा हुआ है तो फिर दूसरा दावा क्यो किया गया। अतः अपील स्वीकार जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में 2021 RBJ PAGE 231 (SC), 2015 RBJ PAGE 238 (SC), RLW 2011(1) RJ PAGE 82 (HC), RRD 1997 PAGE 301, RRT. 2023(2) PAGE 922 (HC), 2007-2008 DNJ Sup 10, 2014 (3) PAGE 865, 2018 (1) DNJ PAGE 305 उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा लिखित बहस पेश करने के साथ–साथ मौखिक बहस के दौरान कथन किया कि लटूरलाल ने अपने जीवन काल में अपने खाते की ग्राम मण्डोली तहसील बारां की 10 किता रकबा 7.92 हेक्टर व संयुक्त खातेदारी की कुल 10 किता रकबा 6.15 है0 आराजी में 1/3 हिस्से की आराजी एवं ग्राम मण्डोली में स्थित अपने मकान का वसीयतनामा दिनांक 24.06.1996 को गवाहान की मौजूदगी में रानी जी के मंदिर के पुजारी रमेशचंद से टाईप करवाकर हस्ताक्षरित कर अपने दत्तक पुत्र शंकरलाल के पक्ष में निष्पादित करवा कर शंकर लाल को अपना वसीयती उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था तथा श्री लटूरलाल की वसीयती मृत्य दिनांक 13.03.1997 को ग्राम मण्डोली में हुई हैं जिसका समस्त आरण कारण व पारम्परिक कार्यों का सम्पादन लटूरलाल जी के दत्तक पुत्र श्री शंकरलाल जी के द्वारा करवाया जाकर उनकी पगडी को समाज के सामने धारण किया था। परन्तु ग्राम पंचायत इकलेरा ने मृतक लटूरलाल उर्फ लटूरमल द्वारा निष्पादित वसीयत नामा दिनांक 24.06.1996 को अनदेखा कर अपील/वाद में विवादित आराजी ग्राम मण्डोली तहसील बारां की 10 किता रकबा 7.92 है0 पर श्री लटूरलाल

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जी का फोती नामान्तकरण सख्यां 89 दिनांक 20.05.1997 व संयुक्त खातेदारी की कुल 10 किता रकबा 6.15 है0 आराजी के 1/3 हिस्से पर फौती नामन्तकरण सख्यां 92 दिनांक 22.08.1997 अपीलान्ट व मृतका रामचन्द्री के नाम तस्दीक कर दिया जिस पर उक्त दोनों नामान्तकरणो नं. 89 व 92 को श्री शंकरलाल जी ने सक्षम न्यायालयो मे अपील कर चुनोती दी। उक्त नामान्तकरण न० 89 की अपील श्री शंकरलाल ने माननीय न्यायालय उप जिला कलैक्ट्र महोदय बारा के समक्ष प्रस्तुत की जो अपील संख्या 20/1998 पर दर्ज हुई जिसमें अपीलान्ट व मृतका स्व0 रामचन्द्री बाई द्वारा इकबालिया जवाब पेश कर विशेष आपतियो में श्री शंकरलाल जी को श्री लटूरलाल का दत्तक पुत्र होना मानकर मृतक लदूरलाल की समस्त चल अचल सम्पत्तियो का वैधानिक उत्तराधिकारी होने का कथन कर वसीयत को स्वीकृत कर वसीयत के आधार पर विवादित सम्पतियों पर दत्तक पुत्र श्री शंकरलाल को अगला खातेदार कृषक होना मान्य किया। जिस पर माननीय न्यायालय ने श्री लटूरलाल जी की मृत्यु पर खोले गये नामान्तकरण नं. 92 को निरस्त कर के अपील नं. 93/1998 का दिनांक 26.06.1998 को निर्णय कर दिया गया।

इस प्रकरण में विवादित आराजी ग्राम मण्डोली तहसील बारां कि खाता संख्या 106 कुल 10 किता रकबा 7.92 है0 पर श्री लटूरलाल के मृत्यु बाद खोला गया फौती नामान्तकरण नं. 89 दिनांक 20.05.1997 के विरूद्ध पेश की गयी अपील बउनवान शंकरलाल बनाम बरफा बाई वगैरा अपील सख्यां 20/98 माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय बारां में श्री शंकरलाल व अपीलान्ट तथा मृतका रामचन्द्री द्वारा पेश राजीनामा दिनांक 20.06.1998 वाद की विषयवस्तु व विवाद्यको का निर्णायक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। उक्त राजीनामा दिनांक 20.06.1998 में अपीलान्ट व मृतका स्व० रामचन्द्री बाई ने श्री शकरंलाल जी को श्री लटूरलाल उर्फ लटूरमल जी का दत्तक पुत्र होना स्वीकार किया हैं एवं वसीयत नामा दिनांक 24.06.1996 को श्री लटूरलाल जी की अतिम वैद्य वसीयत होना बताया हैं साथ ही वसीयत के आधार पर तथा जीवित दत्तक पुत्र होने से श्री शंकरलाल को तरलाल का एक मात्र वारिस स्वीकार किया हैं साथ ही अपीलान्ट व मृतका रामचन्द्री ने श्री शंकरलाल जी के पक्ष में हक तर्क करने के कथन राजीनामा में किये हैं। राजीनामा तस्दीक करते समय श्री शंकरलाल जी ने अपनी दत्तक माता स्व0 रामचन्द्री बाई के आजीवन भरण पौषण की सम्मानजनक व्यवस्था हेतु अपनी वसीयत उत्तराधिकार की आराजी में से श्रीमती स्व0 रामचन्दी बाई को जीवन व्यापन हेतु सीमित अधिकार निश्चित कर राजीनामा दिनांक 26.06.1998 में माता स्व0 रामचन्द्री बाई को 1/2 हिस्सा आराजी में सयुंक्त नाम खातेदारी में दर्ज करवाकर जीवन पर्यन्त माता रामचन्द्री की सेवा सुषमा की

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तथा स्व0 रामचन्द्री को उक्त हिस्सा भरण पौषण निमित्त दिये जाने बाबत् कथन अपील नम्बर 20/98 की आदेशिका दिनांक 26.06.1998 में अंकन की गई हैं जिस पर अपीलान्ट के भी हस्ताक्षर अंगूठा निशानी करवायी गयी हैं जिससे प्रमाणित हैं कि उक्त तथ्य की जानकारी अपीलान्ट को पूर्ण रूपैण हैं तथा इस बात की पुष्टि के कथन अपील सख्या 20/98 निर्णय दिनांक 26.06.1998 में वर्णित कथन कि रेस्पोडेन्ट क्रम 3 रामचन्द्री की इन्तकाल शंकरलाल के नाम खोलने मे कोई आपत्ति नही हैं लेकिन उसका भी नाम इंन्तकाल में 1/2 में रखा जाना चाहिये ताकि उसके भरण पौषण में कोई व्यवधान ना हो ।

शंकरलाल जी की मृत्यु दिनांक 03.09.2007 को एवं स्व0 रामचन्द्री बाई की मृत्यु दिनांक 04.12.2019 को हो गयी हैं तथा विवादित आराजी में स्व० रामचन्द्री बाई को जीवन पर्यन्त भरण पोषण का सीमित अधिकार था। रामचन्द्री बाई अत्यन्त वृद्ध बीमार महिला थी जो सोचने समझने में अक्षम थी। इसी बात का फायदा उटाकर अपीलान्ट ने विवादितं आराजी मे रामचन्द्री के 1/2 हिस्से की आराजी को हडपने अवैधानिक तोर पर बिना प्रतिफल रहित बनावटी दो विक्रय पत्र दिनांक 01.12.2004 को आलेखित कर छल करने के आशय से रामचन्द्री बाई से एक ही तारीख को पंजीयन करवा लिये। जबकि रामचन्द्र बाई को अपने नाम दर्ज सीमित अधिकारों सहित भरण पोषण की आराजी को रहन बय एवं तृतीय पक्ष को हस्तान्तरण व अन्तरण करने का अधिकार नहीं होने एवं विवादित आरजी के 1/2 हिस्से आराजी बाबत् निष्पादित दोनों विक्रय पत्र दिनांक 01.12.2004 रेस्पोडेंट/वादीगण के उत्तरभोगी उत्तराधिकारों के समक्ष अवैध एवं शून्य दस्तावेज होने से प्रारभंत शून्य है।

अधीनस्थ न्यायालय की तनकी न0 1, 2 व 3 को वादीगण / रेस्पो० पूर्ण रूप से साबित करने में सफल रहें है। विवादित आराजी वाद पत्र की चरण कम 1 के खातेदार लटूरलाल उफ लटूरमल जी ने अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति का वसीयतनामा दिनांक 24.06.1996 को आलेखित करवा कर अपने गोद पुत्र शंकरलाल को वसीयती उत्तराधिकारी घोषित किया था। जिसकी ताईदगी वसीयतनामा के गवाहान ने अपने बयानों में भी की हैं। गवाह पी०डब्ल्यू 2 पुरुषोत्तम ने अपने बयानो में कथन किया कि लटूरलाल जी ने श्री शंकरलाल जी को गोद लिया था और पुत्रवत शंकरलाल जी के समस्त दायित्वों का पूर्ण किया था तथा श्री लटूरलाल जी ने अपने जीवन काल में शंकरलाल जी के पक्ष में वसीयतनामा आलेखित कर अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति को गोद पुत्र शंकरलाल के पक्ष में उसे अपना वसीयती

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उत्तराधिकारी घोषित कर दियां तथा उक्त गवाह पुरुषोत्तम प्रदर्श वसीयतनामा पर स्वयं के व अन्य गवाहान के हस्ताक्षर होना व ए से बी के मध्य श्री लटूर के हस्ताक्षर होना प्रमाणित करता है । प्रतिपरिक्षा में भी गवाह पी०डब्ल्यू–2 पुरुषोत्तम ने अपने उक्त कथनो को पुरजोर तरीके से दोहराया हैं और कथन किये है कि प्रदर्श–1 वसीयत को मण्डोला में सचिव रमेश ने लिखा था रमेश 10– 11 वीं तक पढ़ा हैं, उक्त वसीयत रानी जी के मदिरं मण्डोला पर लिखी गयी थी। इसी प्रकार पी०डब्ल्यू –3 हरिशंकर ने भी अपने बयानो में बताया हैं कि लटूरलाल जी ने ग्राम मण्डोला में अपने खाते की आराजी का वसीयतनामा दिनांक 24.06.1996 को अपने गोद पुत्र शंकरलाल के पक्ष में रानी जी के मंदिर के पुजारी रमेशचन्द से मंदिर पर लटूरलाल जी के कहे अनुसार टाईप करवाया था तथा प्रर्दश –1 वसीयत नामा पर लटूरलाल के हस्ताक्षर हैं व स्वंय के साथ अन्य गवाहान के हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार वसीयत नामा प्रर्दश–1 को उसमे आलेखित कथनो को उसके गवाहान ने प्रमाणित कर लटूरलाल जी द्वारा अपने गोद पुत्र शंकरलाल के पक्ष में अपनी समस्त चल अचल सम्पत्तियो को वसीयत करना प्रमाणित हैं। अपीलान्ट की आपत्ति की गवाहान के हस्ताक्षर व निष्पादनकर्ता के हस्ताक्षर एक ही पेन से किये गये हैं निरर्थक हैं क्योकि वसीयत को एक ही स्थान पर गवाहान की मौजूदगी पर आलेखित करना व समस्त गवाहान की मौजूदगी में हस्ताक्षर कर निष्पादन करना प्रमाणित हैं । लटूरलाल व लटूरमल एक ही व्यक्ति है जो गवाहान के बयानो व दस्तावेजो से प्रमाणित है तथा अपीलान्ट ने केवल भ्रम पैदा करने के आशय से लटूरलाल व लटूरमल को भिन्न भिन्न व्यक्ति होना बताने की कोशिश की है परन्तु कोई प्रमाण पेश नही किया है कि अपीलान्ट के कथनो में कितनी सत्यता हैं। अपीलान्ट को वसीयत दिनांक 24.06.1996 व शंकरलाल को गोद लेने की पूर्ण जानकारी थी जिसका प्रमाण अपीलान्ट द्वारा उनके द्वारा किये गये राजीनामा व हकतर्क नामा दस्तावेजो में वर्णित कथनो से प्रमाणित है तथा आज दिवस तक अपीलान्ट द्वारा प्रर्दश–1 वसीयत नामा की वैधानिकता को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती भी नही दी गयी हैं । प्रर्दश–1 वसीयत नामा दिनांक 24.06.1996 अपीलान्ट व शंकरलाल जी के मध्य अपील संख्या 20/1998 में प्रस्तुत राजीनाम़ा प्रदर्श–2 से स्वयं प्रमाणित हैं जिसमें अपीलान्ट ने शंकरलाल जी को श्री लटूरलाल जी के गोद पुत्र होने व शंकरलाल जी के पक्ष में वसीयतनामा करना मान्य किया हैं। प्रदर्श–2 अनुसार लटूरलाल जी का गोद पुत्र शंकरलाल होना व लटूरलाल जी द्वारा गोदपुत्र शंकरलाल के पक्ष में वसीयत नामा तस्दीक करना स्वमेय सिद्ध हैं । विवाद्यक सख्यां 1 व 2 का आधारभूत दस्तावेज वसीयतनामा प्रर्दश 1 हैं तथा तनकी नं. 3 का आधार दस्तावेज प्रदर्श–2 हैं एवं उक्त

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विवाद्यक एक दूसरे से सयुंक्त हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 अनुसार पत्नि व पुत्रियां सहदायिगी नहीं थी तथा पुरुषो की सहदायगी का निर्माण होता था । पुरुषो के निर्वसियत मरने पर मृतक पुरूष के विधिक वारिसान उत्तराधिकारी होकर मृतक की सम्पत्ति प्राप्त करते थे। उक्त मामले में खातेदार मृतक लटूरलाल उर्फ लटूरमल की वसीयती मृत्यु होने से उसके वसीयती उत्तराधिकारी शंकरलाल को मृतक लटूरलाल की सम्पत्ति प्राप्त होनी थी परन्तु ग्राम पंचायत इकलेरा द्वारा अवैधानिक तोर पर मृतक लटूरलाल का इन्तकाल नं. 89 खोल देने पर शंकरलाल जी द्वारा अविलम्ब उक्त नामान्तकरण नं. 89 के विरूद्ध अपील सख्या 20/1998 पेश करने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकार महोदय बारां ने उक्त नामान्तकरण नं. 89 को निर्णय दिनांक 26.06.1998 से निरस्त कर राजीनामा अनुसार नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान किये थे। इस प्रकार वादीगण/रेस्पो० ने तनकी नं. 1, 2 व 3 को मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतः साबित किया है। जिस कारण अपीलान्ट की अपील निरस्तनीय हैं।

तनकी न0 4 को वादीगण/रेस्पोडेन्ट ने बखूबी साबित किया है। वादीगण/रेस्पोडेन्ट के पिता व पूर्वज श्री शंकरलाल जी का निधन दिनांक 03.09.2007 को हो गया था तथा श्री शंकरलाल जी के वादीगण/रेस्पो० जायज कायम मुकामान उत्तरभोगी वारिसान हैं जो श्री शंकरलाल जी के फोती नामान्तकरण दर्ज करने के बाद विवादित आराजी की जमाबन्दी प्रदर्श 3 से प्रमाणित है। वादीगण/रेस्पो० ने अपनी दांदी माता रामचन्दी की सेवा सुशमा कर देखभाल की और रामचन्दी के देवलोक गमन उपरान्त उसका मरणोपरान्त पारम्परिक कार्यक्रम भी वादीगण/रेस्पो० द्वारा किया गया हैं ।

तनकी नं. 5, 6, 7 को वादीगण/रेस्पोडेन्ट ने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से अधीनस्थ न्यायालय मे प्रमाणित किया हैं। दत्तक माता श्रीमती रामचन्दी बाई के जीवनकाल में ही वादीगण/रेस्पो० के पिता श्री शंकरलाल का देहान्त 03.09.2007 को हो गया। मृतक शंकरलाल के फोती नामान्तकरण से शंकरलाल जी की आराजी वादीगण/रेस्पो० के सयुंक्त नाम खाते दर्ज हुई हैं जो जमाबन्दी संवत् 2063–2066 प्रर्दश–3 से प्रमाणित है। श्रीमती रामचन्द्री बाई का प्रतिवादी कम 3 को विवादित आराजी का हिस्सा 1/2 हिस्सा आराजी उसके भरण पौषण एवं जीवन निर्वाह हेतु श्री शंकरलाल जी ने दर्ज करवायी थी तथा श्रीमती रामचन्द्री बाई को आजीवन जीवनयापन हेतु सीमित खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से रामचन्दी बाई को अपने सीमित अधिकारो की विवादित आराजी का अन्तरण करने हस्तातरण करने का

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वैधानिक अधिकार प्राप्त नही था। जिस कारण श्रीमती रामचन्द्री प्रतिवादी कम 3 द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित करवाये गये विकय पत्र दिनांक 01.12.2004 प्रारम्भतः अवैध शून्य दस्तावेज है। श्रीमती रामचन्द्री बाई की मृत्यु दिनांक 04.12.2009 को हो जाने से उत्तरभोगी मृतक शंकरलाल के विधिक वारिसान वादीगण हैं जो विवादित आराजी के एक मात्र उत्तरभोगी उत्तराधिकारी होने से श्रीमती रामचन्दी प्रतिवादी कम 3 द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित दोनों विकय पत्र प्रदर्श 5 व 6 से वादीगण/रेस्पो० के उत्तरभोगी अधिकार प्रभावित नही हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ए०आई०आर० 1987 सुप्रीम कोर्ट 1072 शीलादेवी बनाम मोहनलाल से प्रमाणित हैं तथा वादीगण/रेस्पो० को इस की घोषणा करवाने के हकदार बनाते हैं कि प्रारम्भतः शून्य दस्तावेज विकय पंत्र होने से उत्तरभोगियो के अधिकार प्रभावित नही होगें। मृतक श्री शंकरलाल जी वसीयतनामा प्रदर्श–1 व राजीनामा प्रदर्श–2 के आधार पर विवादित आराजी का एक मात्र खातेदार हो गया था। जिसने अपनी दत्तक माता श्रीमती रामचन्द्री बाई प्रतिवादी कम 3 को विवादित आराजी में 1/2 हक व हिस्सा प्रदान कर उसके आजीवन भरण पोषण एवं जीवन निर्वाह हेतु सह खातेदार बनाकर उसको सुख पूर्वक जीवन निर्वाह करने का अवसर प्रदान किया था तथा रामचन्द्री बाई प्रतिवादी कम 3 को विवादित आराजी में सीमित अधिकार प्राप्त होने से उसे विवादित आराजी को अन्तरण व हस्तांतरण करने का अधिकार प्राप्त न होते हुये भी 1/2 हिस्सा आराजी का विक्रय पत्र अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित किये गये है। जबकि श्रीमती रामचन्द्री प्रतिवादी कम 3 व अपीलान्ट ने स्वयं राजीनामा प्रदर्श–2 में शंकरलाल जी को लटूरलाल जी दत्तक पुत्र मानते हुये वसीयती उत्तराधिकारी माना है तथा अपीलान्ट का उक्त तथ्यों की पूर्ण जानकारी थी की विवादित आराजी में रामचन्द्री बाई को विवादित आराजी में शंकरलाल जी द्वारा भरण मौषण के निमित सीमित अधिकार प्रदान किये गये है। इसके बावजूद अपीलान्ट ने काफी लम्बे समय बाद श्रीमती रामचन्द्री की वृद्धावस्था का फायदा उठाकर चोरी छिपे उक्त दोनो विकंय पत्र एक ही दिनांक को बिना प्रतिफल के अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित करवा लिये गये हैं जो प्रारम्भतः विधि विरूद्ध होने से शून्य व अवैध दस्तावेज हैं तथा उक्त अवेध, शून्य दस्तावेज प्रदर्श–5 व 6 के आधार पर खोला गया नामान्तकरण सं० 163 भी स्वतः ही अवैध व शून्य हैं। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान सीजे (सिविल) 2016 (2) राज० पेज न0 1250 में भी प्रतिपादित किया हैं कि कोई भी अन्तरणकर्ता अपने पास विद्यमान स्वत्व से बेहतर स्वत्व का अन्तरण अंतरिति को नही कर सकता उक्त न्यायिक दृष्टान्त तनकी न० 6 व 7 पर पूर्ण रूप से चस्पा होता हैं।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तनकी नं. 8 व 9 को वादीगण/रेस्पो० द्वारा बखूबी साबित किया गया हैं। विवादित आराजी मृतक लटूरलाल उर्फ लटूरलाल जी के खातेदारी की आराजी थी तथा लटूरलाल जी ने वादीगण/रेस्पो० के पूर्वज श्री शंकरलाल जी को गोद लेकर श्री शंकरलाल जी की पुत्रवत परवरिश कि थी एवं अपने जीवनकाल में प्रर्दश 1 वसीयत नामा दिनांक 24.06.1996 का आलेखन शंकरलाल जी के पक्ष में करवाकर श्री शंकरलाल जी को अपनी समस्त चल अचल सम्पति का वसीयती उत्तराधिकारी बनाया था एवं शंकरलाल जी का श्री लटूरलाल जी का गोद पुत्र होना व वसीयती उत्तराधिकारी होना निर्विवाद हैं तथा अपीलान्ट व श्री रामचन्दी बाई ने भी अपील संख्या 20/1998 में हुये राजीनामा प्रदर्श–2 में उक्त तथ्यों पर सहमती व्यक्त की हैं तथा श्री शंकरलाल जी द्वारा प्रतिवादी कम 3 रामचन्द्री बाई को विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर सहखातेदार बनाने के पीछे रामचन्द्री बाई को स्वत्रन्त्र समानपूर्वक जीवन जीने व भरण पोषण के निमित था जो प्रमाणित है तथा श्रीमती रामचन्द्रीबाई प्रतिवादी कम 3 की मृत्यु के पश्चात् विवादित आराजी पुनः शंकरलाल जी के वारिसान वादीगण/रेस्पो० को प्राप्त होनी हैं जो कानूनी है क्योकि विवादित आराजी पर रामचन्द्री बाई को सीमित हक व अधिकार प्राप्त थे तथा रामचन्द्री बाई द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र प्रदर्श 5 व 6 प्रारम्भतः प्रभाव शून्य व अवैध हैं तथा उनके आधार पर खोला गया नामान्तकरण नं० 163 स्वतः ही शून्य हैं। वसीयत प्रदर्श–1 को स्वयं अपीलान्ट द्वारा राजीनामा प्रर्दश–2 द्वारा मान्य किया गया हैं तथा प्रर्दश–7 हक तर्क नामा में अपीलान्ट ने स्वंय विवादित आराजी पर शंकरलाल के नाम नामान्तकरण खोलने व अपना हिस्सा त्याग करने के कथन किये है जो एक स्वीकृत स्थिति हैं तथा तनकी नं० 8 व 9 वादीगण/रेस्पो० के पक्ष में साबित हैं। विवादित आराजी को शंकरलाल जी जीवन पर्यन्त काबिज काश्त करते रहे ओर उनकी मृत्यु दिनांक 03.09.2007 के उपरान्त से वादीगण/रेस्पो० विवादित आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वादीगण/रेस्पो० अपीलान्ट के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। वाद पत्र में वादीगण/रेस्पो० ने विक्रय पत्र प्रदर्श –5 व 6 को निरस्त करने का अनुतोष नही मांगा है। विवादित आराजी में प्रतिवादी कम 3 रामचन्द्री को सीमित अधिकार होने से अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादीत विकय पत्र प्रदर्श 5 व 6 प्रारम्भतः अवैध व शून्य दस्तावेज हैं तथा विवादित आराजी पर वादीगण/रेस्पो० के उत्तरभोगी अधिकारो की घौषणा व खातेदारी अधिकारो की घोषणा के साथ प्रदर्श–5 व 6 को अकृत व शून्य घौषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। जो माननीय न्यायालय राजस्थान

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय आर.एल.डब्ल्यू. 2019 (3) पेज 2371 बागाराम बनाम बालकिशन से प्रमाणित है तथा तनकी नं० 9 व 10 पर चस्पा होने से अपीलान्ट के विरूद्ध साबित हैं।

तनकी नं0 11 ता 13 अपीलान्ट को साबित करनी थी जिसे अपीलान्ट साबित करने मे पूर्ण रूप से विफल रहें हैं। अपीलान्ट व श्रीमती रामचन्द्री ने अपील सख्यां 20/1998 में प्रस्तुत किये राजीनामा दिनांक 26.06.1998 प्रदर्श 2 व अपील संख्या 93/1998 में राजीनामा के आधार पर श्रीमान जिला कलैक्ट्रेट महोदय बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.07.1998 में तथा श्रीमती रामचन्द्री द्वारा आलेखित वसीयत नामा दिनांक 10.06.1998 में शंकरलाल जी को लटूरलाल जी का दत्तक पुत्र होना व लटूरलाल जी का दत्तक पुत्र शंकरलाल के पक्ष में वसीयत नामा दिनांक 24.06.1996 निष्पादित करना तथा शंकरलाल का विवादित आराजी का एक मात्र वसीयती उत्तराधिकारी होना कथन किया हैं। गोदपुत्र होने बाबत् अपीलान्ट द्वारा राजीनामा दिनांक 26.06.1998 प्रदर्श–2 में स्वीकृति की गयी हैं। धारा 58 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार स्वीकृति सर्वोत्तम साक्ष्य हैं तथा आगे किसी प्रकार के अनुसमर्थन व प्रमाणिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायिक निर्णय डी०एन० जे० 2014 (1) राज० पेज० नं० 88 हरिबिल्लभ बनाम राजस्थान सरकार व 2022 (2) सीजे (सिविल) एम० डी.बी. पेज नं० 1238 ईमरान रफीक बनाम अभिलाशा जैन में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में भी स्वीकृति को सर्वोच्च साक्ष्य होना अनुप्रमाणित किया हैं। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी साक्ष्य के समर्थन में विवादित आराजी का पुश्तैनी होने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लदूरलाल उर्फ लटूरमल के विवादित आराजी के सम्बन्ध मे दान रहन बय करने हेतु स्वत्रन्त्र होना सही निर्णित किया है। वाद में विवादित आराजी कृषि भूमि हैं जिसके विवादित होने एवं घौषणा के दावे के माध्यम से पक्षकारान के मध्य अधिकारों को तय करने में राजस्व न्यायालय को अन्यन अधिकारिता प्राप्त हैं इस कारण तनकी नं० 12 विरूद्व अपीलान्ट सही तोर पर नासाबित हैं। वादीगण/रेस्पो० का वाद घोषणा बाबत् वाद है तथा घौषणा से सम्बन्धित वाद में कोई परिसीमा काल का निर्धारण नहीं हैं तथा घौषणा के वाद में कोई समय सीमा नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद्यक संख्या 13 अपीलान्ट के विरूद्ध सही निर्णित किया हैं। इस कारण अपीलान्ट की अपील निरस्त होने योग्य हैं। अपीलान्ट ने अपने जवाब दावे के समर्थन में अपीलान्ट/प्रतिवादीया कम 2 डी.डब्ल्यू 1 ने स्वयं को अधीनस्थ न्यायालय में परिक्षित करवाया हैं। दोराने प्रतिपरिक्षा डी.डब्ल्यू 1 ने कथन किया हैं कि मुख्य परीक्षा शपथ पत्र में क्या लिख हुआ हैं मुझे पता नही हैं। रामकिशन वगैरा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ने जो दावा पेश किया हें उसमें क्या लिखा हुआ हैं मुझे पता नही है। इस प्रकार उक्त गवाह डी. डब्ल्यू 1 स्वयं जवाब दावे व प्रतिदावे का समर्थन नही करते । इस कारण अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश जवाब दावा व साक्ष्य वादीगण/रेस्पो० के दावे व अनुतोष के विपरित नहीं हैं तथा अपीलान्ट का जवाब दावा नासाबित होने से वादीगण/रेस्पो० को वाद साबित हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण/रेस्पो० के वाद को स्वीकार कर निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2022 सही पारित की हैं। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज फरमायी जाने की कृपा करें। अपने पक्ष के समर्थन में AIR 1987 (SC) PAGE 1987, CJ (CIVIL) 2016 (2) PAGE 1250, RLW 2019 (3) PAGE 2371, DNJ 2014(1) PAGE 88, 2022 (2) CJ (CIVIL) DB PAGE 1238, 2022 (3) CJ (CIVIL) PAGE 1719, 2022 (2) RRT (SC) PAGE 745 उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 सीपीसी के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार रेस्पोडेंट वादीगण ने अपीलांट प्रतिवादीगण के विरूद्ध ग्राम मण्डोली, तहसील बारां की खाता संख्या 106 की कुल किता 10 कुल रकबा 7.92 हैक्टर विवादित आराजी में दर्ज प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के 1/2 हिस्से पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् वाद प्रस्तुत कर इंतकाल नं. 163 को निरस्त करते हुए प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के हिस्से की विवादित आराजी का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित करने एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 विवादित आराजी के 1/2 हिस्से को रहन, बय एवं तृतीय पक्ष को अंतरण न करे व वादीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत न करे इस हेतु प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को स्थायी व्यादेश से पाबंद करने का अनुतोष चाहा है।

अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई उभयपक्ष पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 31.10.2022 से वादी रेस्पोडेंटगण का वाद स्वीकार कर डिक्री करते हुए वादी रेस्पोडेंटगण को विवादित आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के 1/2 हिस्से पर वादीगण रेस्पोडेंट को खातेदार कृषक घोषित करते हुए प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में तनकीवार विस्तृत विवेचन करने के पश्चात् यह माना है कि विवादित आराजी पैतृक नहीं है। मृतक खातेदार लटूरमल अपनी भूमि को रहन, बेचान व हस्तांतरण करने के लिए स्वंतत्र था। उसे किसी की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। मृतक खातेदार लटूरमल द्वारा अपनी सम्पूर्ण आराजी व एक मकान को शंकरलाल के नाम वसीयत करवायी गयी। वादीगण के पिता शंकरलाल एवं प्रतिवादीगण के बीच भूमि को लेकर एक विवाद चला जिसमें दिनांक 26.06.1998 को राजीनामा हुआ। उसके बाद रामचन्द्री द्वारा अपनी पुत्रियों को 1/2 भूमि का दिनांक 01.12.2004 को जर्ये रजिस्टर्ड बेचान कर दिया गया। जो अवैध व प्रभाव शून्य था क्योंकि भूमि की वसीयत करवा दी गई थी तथा वाद में भी वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा होने के बाद भी भूमि का बेचान कर दिया गया है जो नहीं करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत एवं प्रतिवादीगण व मृतक शंकरलाल के बीच हुए राजीनामे के आधार पर वादीगण का दावा स्वीकार किया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न राजस्व रिकार्ड से यह साबित नहीं होता कि विवादित आराजी पैतृक आराजी है। अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किया है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी के मूल खातेदार लटूरलाल को अपने खाते की आराजी की वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। खातेदार मृतक लटूरलाल के दो पुत्रियां कैलाशबाई, बरफाबाई एवं पत्नी रामचन्द्री बाई थी। लटूरलाल के कोई पुत्र नहीं होने से वादीगण के पिता शंकरलाल को गोद लेकर अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्तियों का वसीयननामा दिनांक 24.06.1996 को शंकरलाल के पक्ष में निष्पादित किया। लटूरलाल का दिनांक 13.03.1997 को स्वर्गवास हो गया।

लटूरलाल की मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत इकलेरा ने मृतक लटूरलाल का फौती इंतकाल नम्बर 89 प्रतिवादी कम 1 ता 3 के पक्ष में दिनांक 20.05.1997 को तस्दीक कर दिया। इंतकाल नं. 89 को चुनौती देकर शंकरलाल ने न्यायालय उप जिला अधिकारी बारां में अपील दिनांक 15.06.1998 को पेश की जिसकी अपील संख्या 20/1998 है। पत्रावली में सलंग्न निर्णय दिनांक 26.06.1998 की आदेशिका के अनुसार, दौराने अपील प्रतिवादी कम 1 ता 3 ने दिनांक 26.06.1998 को एक राजीनामा जो प्रदर्श – 2 के रूप में पत्रावली में सलंग्न है, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां के समक्ष प्रस्तुत कर यह स्वीकार किया है कि बरफाबाई तथा कैलाशबाई के पिता तथा रामचन्द्री बाई के पति लटूरमल थे, जिनकी मृत्यु हो गई है, अपीलांट शंकरलाल उक्त लटूरमल के दत्तक पुत्र है तथा लटूरमल जी की अंतिम स्वतंत्र एवं वैध वसीयत जो नोटेरी से प्रमाणितशुदा है, जिसकी तारीख 24.06.1996 है और इस वसीयत के आधार पर व दत्तक पुत्र होने के कारण और मौरूसी जायदाद होने के कारण अपीलांट शंकरलाल श्री लटूरमल का एकमात्र वैध वारिस है। लटूरमल द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 24.06.1996 को अपीलांट बरफाबाई व

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कैलाशबाई तथा उनकी माता रामचन्द्रीबाई ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत राजीनामे में स्वयं स्वीकार किया है, उसे रेस्पोडेंटगण को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 58 के अनुसार स्वीकार किये गये तथ्यों को साबित करना आवश्यक नही है। इस संदर्भ में रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय डी.एन.जे. 2014 (1) राज. पेज 88 हरिवल्लभ बनाम राजस्थान सरकार व 2022 (2) सीजे (सिविल) राज. डी.बी. पेज नं. 1238 ईमरान रफीक बनाम अभिलाशा जैन में मा. उच्च न्यायालय राजस्थान ने भी स्वीकृति को सर्वोच्च साक्ष्य होना माना है। इसके बावजूद वादी रेस्पोडेंटगण ने वसीयत दिनांक 24.06.1996 प्रदर्श – 1 को वसीयत के निष्पादनकर्ता गवाह पी. डब्ल्यू.– 2 पुरूषोत्तम नागर एवं पी.डब्ल्यू. – 3 हरिशंकर के बयानों से साबित किया

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शंकरलाल द्वारा इंतकाल संख्या 89 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 20/1998 में बरफा बाई, कैलाश बाई, रामचन्द्री बाई व शंकरलाल के मध्य दिनांक 26.06.1998 को निष्पादित राजीनामे को तस्दीक करते हुए इस राजीनामे के आधार पर इंतकाल संख्या 89 को खारिज कर विवादित आराजी शंकरलाल दत्तक पुत्र लटूरलाल एवं रामचन्द्री बाई बेवा लटूरलाल के नाम हिस्सा 1/2– 1/2 का इंतकाल खोला जाकर तस्दीक करने का आदेश जारी किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने इसी निर्णय में यह भी अंकित किया है कि रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 को इंतकाल नं. 89 में से उनका नाम कम किया जाने में कोई आपत्ति नहीं है तथा रेस्पोडेंट क्रम 3 को इंतकाल में शंकरलाल का नाम खोलने में आपत्ति नहीं है लेकिन उसका भी नाम इंतकाल में रखा जाना चाहिए ताकि उसके भरण–पोषण में कोई व्यवधान नहीं हो। इसी आधार पर विवादित आराजी में शंकरलाल के साथ रामचन्द्री बेवा लटूरलाल का नाम 1/2 हिस्से में दर्ज होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है जबकि मूल खातेदार लटूरलाल द्वारा अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति की वसीयत अपने दत्तक पुत्र शंकरलाल के नाम दिनांक 24.06.1996 को निष्पादित करवा दी गई थी। इस वसीयत को निरस्त करवाने हेतु अपीलांट द्वारा कोई कार्यवाही करना पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता है। अतः इस वसीयत के अस्तित्व में रहते रामचन्द्री बाई द्वारा अपनी दोनों पुत्रियों के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर अपीलांट बरफा बाई व कैलाशबाई के नाम खोला गया इंतकाल नं. 163 वादीगण के हितों पर प्रभाव शून्य है।

भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 18 के अनुसार वसीयत का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। इसके विपरीत आवश्यकता होने पर पंजीकृत वसीयत को भी वसीयत निष्पादन के समय गवाहों के रूप में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के द्वारा प्रमाणित करवाना आवश्यक हो जाता है। वादीगण वसीयत को साबित करने में सफल रहे है। घोषणा के दावे में मुख्य अनुतोष खातेदारी अधिकारों

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

की घोषणा होने से वसीयत के आधार पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। इसी प्रकार खातेदारी अधिकारों की घोषणा के दावे में विक्रय पत्र के शून्य घोषित करने का अनुतोष केवल आनुषांगिक हो तो यह अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है, इस संदर्भ में रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2022 (3) सीजे (सिविल) राज. पेज 1719 मोडूराम बनाम राजस्व बोर्ड प्रस्तुत की है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती है।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट ने वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–1 वसीयतनामा दिनांक 24.06.1996, प्रदर्श–2 राजीनामा अपील संख्या 20/1998 उपखण्ड अधिकारी बारां, प्रदर्श –3 जमाबंदी, प्रदर्श 5 व 6 रजिस्टर्ड बेयनामा दिनांक 01.12.2004, प्रदर्श–7 हक तर्क नामा बरफाबाई एवं वसीयत के निष्पादनकर्ता, गवाह पी.डब्ल्यू.–2 पुरूषोत्तम नागर व पी.डब्ल्यू.–3 हरिशंकर के बयानों से भली भांति साबित किया है। अतः हम अपील के इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/06/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1–कैलाश बाई उम्र 65 वर्ष पुत्री श्री लटूरलाल पत्नि श्री देवीशंकर जाति धाकड़ निवासी ग्राम बामला तहसील व जिला बारां (राज०)
2–बरफा बाई उम्र 60 वर्ष पुत्री श्री लटूरलाल पत्नि श्री पुरुषोत्तम जाति धाकड़ निवासी ग्राम रीझया तह० मांगरोल जिला बारां (राज०)
.... **अपीलांट**

बनाम

1– रामकिशन पुत्र श्री शंकरलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम मण्डोली तहसील व जिला बारां (राज०) – "मृतक"
1/1–जगमोहन उम्र 41 वर्ष पुत्र स्व. श्री रामकिशन
1/2–सूरजा बाई उम्र 55 वर्ष बेवा स्व. श्री रामकिशन जातिगण धाकड़ निवासीगण ग्राम मण्डोली तहसील व जिला बारां (राज०)
1/3–वसुंधरा उम्र 33 वर्ष पुत्री स्व. श्री रामकिशन पत्नि श्री देवीशंकर जाति धाकड़
निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील व जिला बारां (राज०)
1/4–रेवती नागर उम्र 30 वर्ष पुत्री स्व. श्री रामकिशन पत्नि श्री दीपक नागर जाति धाकड़ निवासी ग्राम दुर्जनपुरा तहसील व जिला बारां (राज०)
1/5–जामवंती उम्र 29 वर्ष पुत्री स्व. श्री रामकिशन
1/6–पूजा उम्र 26 वर्ष पुत्री स्व. श्री रामकिशन
1/7–नीलू उम्र 22 वर्ष पुत्री स्व. श्री रामकिशन
जातिगण धाकड़ निवासीगण ग्राम मण्डोली तहसील व जिला बारां (राज०)
2– कौशल किशोर पुत्र श्री शंकरलाल जाति धाकड़
3– भीमराज पुत्र श्री शंकरलाल जाति धाकड़ निवासीगण ग्राम मण्डोली तहसील व जिला बारां (राज०)
4– मुरलीधर पुत्र श्री शंकरलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम मण्डोली तहसील व जिला बारां (राज०) – "मृतक"
4/1–मनोरमा उम्र 41 वर्ष बेवा स्व० श्री मुरलीधर
4/2–प्रतीक्षा उम्र 21 वर्ष पुत्री स्व० श्री मुरलीधर
4/3–प्रदीप कुमार नागर उम्र 20 वर्ष पुत्र स्व० श्री मुरलीधर
4/4–रमा उम्र 18 वर्ष पुत्री स्व० श्री मुरलीधर जातिगण धाकड़ निवासीगण ग्राम मण्डोली तहसील व जिला बारां (राज०)
5– श्रीमति कमला पत्नि श्री शंकरलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम मण्डोली तहसील व जिला बारां (राज०)
6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बारां जिला बारां (राज.)
.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2022/216**
मु.द.नं० **49/2009**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, बारां**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **31.10.2022**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **11 माह 06 सन् 2025**

श्री **बाबूलाल जैन** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **धर्मेन्द्र सिंह चौधरी** अभिभाषक रेस्पोडेंट क्रम 1/2 ता 1/7, 2, 3, 4/1, 4/2 व 4/4 की ओर से, **शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2022 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **30 माह 06 सन् 2025** को जारी किया गया ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज०)